कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019–20 दिनांक : 06.03.2020

Most Important

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक(मुख्यालय)

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी
समग्र शिक्षा अभियान

विषय : शालादर्पण पोर्टल पर "Scholarship Module" में समस्त पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियों के आवेदनों में बैक एवं विद्यार्थी के नाम से सम्बन्धित सूचना को दिनांक 13.03.2020 तक आवश्यक रूप से संशोधन करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2019–20 में समस्त पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियो के भुगतान हेतु शालादर्पण पोर्टल पर "Scholarship Module" में पात्र छात्र–छात्राओं के ऑनलाईन आवेदन भरकर संबंधित संस्था प्रधानों द्वारा लॉक (Lock/Submit) किया गया था परन्तु शालादर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधानों द्वारा अधिकांश विद्यार्थियों के बैंक सम्बन्धित सूचना एवं विद्यार्थी के नाम सम्बन्धित सूचना में Duplicate Account Number/Wrong IFSC Code/Wrong Account Number Length & Special Character in Student Name Length प्रदर्शित हो रहा है, जिसके कारण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो रहा है। अतः समस्त विद्यालयों के **शालादर्पण पोर्टल पर Scheme Tab में "Scholarship Module" के अन्तर्गत Update Duplicate Bank Account Number in Scholarship Option** में उन समस्त विद्यार्थियों के डाटा प्रदर्शित होंगे जिनकी वांछित सूचना गलत भरी गई है।

उपर्युक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिनस्थ समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित करें कि उन समस्त विद्यार्थियों की वांछित सूचना जो गलत भरी गई है उन्हें तत्काल सही करवाने की कार्यवाही अतिशीघ्र करवाना सुनिश्चित करें ताकि पात्र विद्यार्थियों को भुगतान की कार्यवाही की जा सकें। उपर्युक्त कार्य में शिथिलता/उदासीनता बर्तने वाले संस्थाप्रधानों/कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करें।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा उपर्युक्त निर्देशित कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित की जावे।

संलग्न : यूजर मेन्युअल

06/3/2020

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्री विनोद जैन, तकनीकी–निदेशक, प्रभारी अधिकारी,एन.आई.सी.,जयपुर को सूचनार्थ।
2. समस्त संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा कों समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को जिला क्षेत्राधिकार में समुचित प्रर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. समस्त संस्थाप्रधान,रामावि/राबामावि/राउमावि/राबाउमावि को अनिवार्यतः पालनार्थ।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com